न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण **GCMS NO 2024/51**
दायरा तिथि : 30.01.2024
आदेश तिथि : 16-04-2025
प्रार्थीगण :–

1. दिलीपसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी बीजापुर तहसील बाली
2. मनाराम पुत्र मोडाराम जाति रेबारी निवासी बीजापुर तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. वनेचंद पुत्र चमना के कामु:–
   (अ) कैलाश पुत्र वनेचंद
   (ब) भगवती पुत्री वनेचंद
   (स) प्रकाशचंद पुत्र वनेचंद
   (द) भंवरलाल पुत्र वनेचंद
   (य) विनीता पुत्री वनेचंद
   (र) विमल कुमार पुत्र वनेचंद
   (ल) सुरेखा पुत्री वनेचंद
   (व) सरोजा पुत्री वनेचंद
   (स) ललिता पुत्री वनेचंद
2. हिम्मतमल पुत्र हसंराज के कामु:–
   (अ) चंद्रावती पुत्री हिम्मतमल
   (ब) जयंतिलाल पुत्र हिम्मतमल
   (स) दिनेश पुत्र हिम्मतमल
   (द) पवन पुत्री हिम्मतमल
   (य) पुष्पा पुत्री हिम्मतमल
   (र) भरत पुत्र हिम्मतमल
   (ल) वीणा पुत्री हिम्मतमल
   (व) सुरेश पुत्र हिम्मतमल
3. हजारीमल पुत्र चन्द्रभान के कामु:–
   फुलचंद पुत्र हजारीमल के कामु:–
   (अ) बाबुलाल पुत्र फुलचंद
   (ब) रतनलाल पुत्र फुलचंद
   (स) कमलाबेन पुत्री फुलचंद
   (द) इन्द्राबेन पुत्री फुलचंद
   (य) शांतिलाल पुत्र फुलचंदजी के कामु
      1. सुशीला पत्नी शांतिलाल
      2. नितिन पुत्र शांतिलाल
      3. नीरज पुत्र शांतिलाल
4. अमृत पुत्र गुलाबचंद
5. अविनाश पुत्र गुलाबचंद
6. पुष्पत पुत्र गुलाबचंद
7. पुष्पा पुत्री गुलाबचंद
8. वरदीचंद पुत्र उदेयचंद जातिगण महाजन निवासीगण बीजापुर तहसील बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.) ★

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

दिनांक: 16-04-25

आदेश

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1518

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2024/51

अनवान दिलीपसिंह वगैरा बनाम वनेचंद वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

रकबा 0.5800 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1517 रकबा 1.6400 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि आवेदक खातेदार की धारित भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता राजस्व रेकर्ड अनुसार उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में आवेदकों द्वारा खसरा नंबर 1517 में 5 मीटर चौडा रास्ता मौके पर तारबंदी लगाकर बनाया हुआ है। आवेदित रास्ता के अलावा वैकल्पिक रास्ता खसरा नंबर 1519/1 व 1506 में से दिया जा सकता है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता सडक मार्ग से 130 मीटर दूरी पर स्थित है एंव वैकल्पिक रास्ता कटान/कच्चे रास्ते से 121 मीटर दूर स्थित है।
3. यह है कि आवेदक द्वारा ग्राम बीजापुर पटवारी हल्का बीजापुर के खसरा नंबर 1517 में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	1517	1.6400 हैक्टर	नहरी सोयम	130X5=650 वर्गमीटर	1. गुलाबचंद पुत्र जेवरचंद हि0 1/5 2. वनेचंद पुत्र चमना हि0 1/5 3. वीरदीचंद पुत्र उदेचन्द हि0 1/5 4. हजारीमल पुत्र चन्द्रभान हि0 1/5 5. हिमतमल पुत्र हंसराज हि0 1/5 जातिगण महाजन सा. देह खातेदार

4. यह है कि आवेदक द्वारा ग्राम बीजापुर पटवारी हलका बीजापुर में प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक खसरा नंबर 1519/1 व 1506 में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	1519/1	0.3800 हैक्टर	नहरी सोयम	96X5=480 वर्गमीटर	भीकी पत्नी झालाराम हि0 पूर्ण जाति मेघवाल सा. देह खातेदार
2.	1506	0.29 हैक्टर	नहरी सोयम	25X5=125 वर्गमीटर	तगाराम पुत्र दीपा हि0 पूर्ण जाति मेघवाल सा. देह खातेदार

5. यह है कि रास्ते में प्रस्तावित खसरा नंबर 1517 की डीएलसी दर 282495/– प्रति हैक्टर व खसरा नंबर 1519/1 की डीएलसी दर 211846/– प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते व वैकल्पिक रास्ते की भूमि में किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार एंव वैकल्पिक रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर अदम तामील प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण की तलबी अखबार में नोटिस छाया के माध्यम से करवाई गई। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में आदिनांक तक वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि ग्राम बीजापुर के आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1518 रकबा 0.5800 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए खसरा नंबर 1517 में से रास्ता मौके पर तारबंदी लगाकर बनाया हुआ है। जो पूर्व से उपयोग में लिया जा रहा है। जिसमें से ही रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है।

3

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.........03

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2024/51
उनवान दिलीपसिंह वगैरा बनाम वनेचंद वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(62) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1518 रकबा 0.5800 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1517 रकबा 1.6400 हैक्टर में से 650 **वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये** जाने के आदेश दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे।
प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 282495/-रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1517	1.6400 हैक्टर	130X5=650 वर्गमीटर	29	18850X2=37700	1. गुलाबचंद पुत्र जेवरचंद हि0 1/5 2. वनेचंद पुत्र चमना हि0 1/5 3. वीरदीचंद पुत्र उदेचन्द हि0 1/5 4. हजारीमल पुत्र चन्द्रभान हि0 1/5 5. हिमतमल पुत्र हंसराज हि0 1/5 जातिगण महाजन सा. देह खातेदार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 37700/- (अक्षरे सैतीस हजार सात सौ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि अप्रार्थीगण द्वारा नहीं लिये जाने की दशा में तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.)

(दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक : 16-04-25

क्रमांक/कोर्ट/2025/320-324
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बीजापुर
3. पटवारी हल्का, बीजापुर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक दिलीपसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी बीजापुर तहसील बाली वगैरा को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/06/25	वकील प्रार्थी द्वारा वास्ते शुद्धि करवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली आज सुनवाई पर ली गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण संख्या जीसीएमएस नंबर 2024/51 अनवान दिलीपसिंह वगैरा बनाम वनेचंद वगैरा अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिनांक 16.04.2025 को पारित आदेश में रास्ते की चौडाई 5 मीटर अंकित की गई है जिसको संशोधन कर रास्ते की चौडाई 9 मीटर किये जाने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र, पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण संख्या जीसीएमएस नंबर 2024/51 अनवान दिलीपसिंह वगैरा बनाम वनेचंद वगैरा अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिनांक 16.04.2025 को पारित आदेश में संशोधन किया जाकर ग्राम बीजापुर के खसरा नंबर 1517 रकबा 1.6400 हैक्टर में से 130×9=1170 वर्गमीटर रास्ता उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है एवं प्रतिकर राशि 1170×29×2=67860/–रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि अप्रार्थीगण द्वारा नहीं लिये जाने की दशा में तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। इस संशोधन को प्रकरण संख्या जीसीएमएस नंबर 2024/51 अनवान दिलीपसिंह वगैरा बनाम वनेचंद वगैरा अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिनांक 16.04.2025 को पारित आदेश की निरंतरता में माना जावें। (हस्ताक्षर) 2/6/25 सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली (मुहर: न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.))	

Scanned with CamScanner

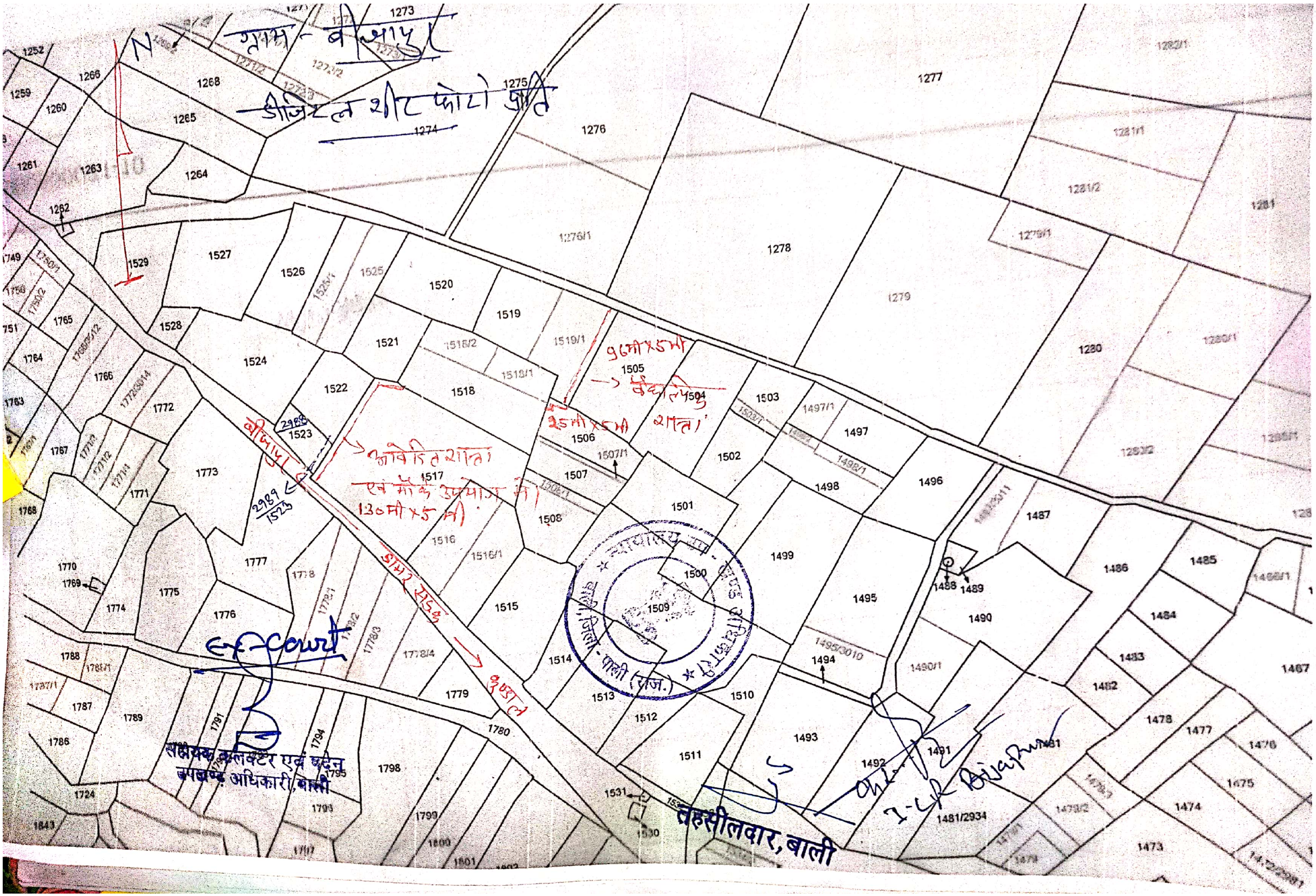

Scanned with CamScanner